न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 54 / 2020 तारीख रजू:–31.08.2020

जीसीएमएस नंबर 2020 / 00074

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. राजाराम पुत्र सुखदेवा जाट
2. गोपाल पुत्र सुखदेवा जाट
3. छोटू पुत्र सुखदेवा जाट
4. श्रीमति रामा देवी पत्नि स्व0 रामकिशन जाट

निवासीयान शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादी

उपस्थितः–

वकील वादीगणः– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी :– तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, पैरोकार सरकार

दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 सपठित धारा 92 ए आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 18.02.2026

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

- वादीगण ग्राम शिवाड के निवासी है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है कृषि करके अपना जीवनयापन करते है।
- ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड ए में खसरा नं. 1571 रकबा 0.6600 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा नं. 1572 रकबा 0.6000 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 स्थित है [illegible] षि भूमि वर्तमान रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073 [illegible] सं. 1 लगायत 3 व रामकिशन, गुड्डी, छोटी, श्योनारायण, स[illegible]रा जाति बागरिया [illegible]सी ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा के नाम खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी को प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा दावा पेश है।

❖ उपरोक्त खसरा नं. 1571 व 1572 के पास गैर मुमकिन रास्ता को छोडकर खसरा नं. 1752 रकबा 1.1400 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 व खसरा नं. 1753 रकबा 0.1200 हैक्टेयर किस्म बंजड स्थित है। जो वादी सख्या 1 लगायत 3 एवं मृतक रामकिशन के नाम खातेदारी रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला में संवत 2073 से 2076 ग्राम शिवाड पटवारी हल्का शिवाड ए में दर्ज है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा दावा पेश है।

❖ इन दोनो खातों के अलावा खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.3000 हैक्टेयर ग्राम शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा स्थित है जो गैर मुमकिन चरागाह स्थित है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चौसाला पटवार हल्का शिवाड ए हमरा दावा पेश है। यह तीनों मद में वर्णित भूमि ही वादान्तर्गत भूमि है तथा दावा कि विषय वस्तु है।

❖ तहसील चौथ का बरवाडा का भू सर्वेक्षण सेटलमेंट विभाग द्वारा सन 1991 1992 से किया गया था तथा भू सर्वेक्षण करने के बाद सन 2002 में रिकॉर्ड राजस्व विभाग को सुपुर्द किया गया था इसके पूर्व यानि कि 2002 से पूर्व राजस्व विभाग में पुराने रिकॉर्ड से ही सीमाज्ञान, पत्थरगढी व अन्य किस्म के जैसे भूमि विक्रय, रहन आदि होते रहे है नवीन रिकॉर्ड सन 2002 में राजस्व विभाग को सुपुर्द होने के बाद नवीन राजस्व रिकॉर्ड से भूमि का रहन बेचान व अन्य कार्य होने लगे है।

❖ खसरा नम्बर 1570, 1571 व 1572 तथा 1752 व 1753 स्थित वाके ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड ए साबिक खसरा नम्बर 1034 रकबा 34 बीघा 14 बिस्वा से सेटलमेंट विभाग ने भू सर्वेक्षण करके बनाये है जिसके तुलनात्मक क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा दावा पेश है।

❖ वादी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज सुखदेव व रामकिशन जाति जाट निवासी शिवाड ने साबिक खसरा नम्बर 1034/1 की 5 बीघा भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2000 को खरीद की थी और जिस भू भाग पर विक्रेता रंगा, कल्याण व नानगी का कब्जा था उसी स्थान पर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं लगातार [illegible] रहे है। खातेदार रामकिशन जो वादी संख्या 1 लगायत [illegible] संख्या 4 का पति है की दिनांक 12.01.2020 [illegible] है जिसकी वादी संख्या 4 जायज वारिस है परन्तु अभी तक नामान्तकरण विरासत का राजस्व विभाग के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा
सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

कर्मचारियो ने नहीं खोला है इसलिए भूमि में रामकिशन का ही नाम बतौर खातेदार चला आ रहा है। श्रीमती रामा देवी उत्तराधिकारी होने से उसे पक्षकार बनाया है मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा दावा पेश है।

- सेटलमेंट विभाग ने भू सर्वेक्षण के दौरान जिस भूमि खसरा नम्बर 1571 व 1572 पर वादीगण का कब्जा था उसको श्योनारायण, गंगाराम, छीतर आदि के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया था व खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.6600 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया इसको शुद्ध करवाने के लिए मृतक रामकिशन व सुखदेवा के वारिसान (वादीगण अन्य) ने एक प्रार्थना पत्र माननीय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (स्ंदक त्मबवतक वििपबमत) के न्यायालय में पेश किया था जिसमें अप्रार्थीगण की तामील न होने से प्रार्थना पत्र तलबी में चलता रहा तत्पश्चात बिना प्रार्थीगण की जानकारी के इस पत्रावली को अदम हाजिरी अदम पैरवी में फैसल बताकर पत्रावली संख्या 166/2011 को जिला रिकॉर्ड रूम में भिजवा दिया जबकि 28. 02.2014 को अप्रार्थीगण की तामील दैनिक समाचार पत्रिका के माध्यम से कराने हेतु समय चाहने बाबत लिखा जाकर आगामी पेशी नियत की गई थी तथा अगली सुनवाई की पेशी दिनांक 23.04.2014 नियत कर दी गई थी। ऑर्डरशीट व मूल प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति हमरा दावा पेश है।
- सन् 2014 तक पत्रावली का निर्णय नहीं होने तथा अप्रार्थीगण द्वारा भूमि खातेदारी की दर्ज होने का फायदा उठाते हुए भूमि की बेचने की धमकी दी गई थी जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना स्टे बाबत पेश भी किया था जिस पर स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया क्योंकि अप्रार्थीगण की तामील नही हुई थी। बेचान करने की धमकी देने से व स्थगन आदेश प्राप्त न होने की सूरत में अप्रार्थी श्योनारायण व अन्य से दिनांक 10.04.2014 को रामकिशन ने खसरा नम्बर 1571 व 1572 वाके ग्राम शिवाड का 2/7 भाग जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर लिया था उसके बाद इसी खसरा नम्बरान में से दिनांक 10.06.2014 को राजाराम वादी ने 1/7 हिस्सा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ग्यारसी पुत्री स्व. छीतर पत्नी श्री मेवा से 1/7 हिस्सा खरीद किया और इसके पश्चात इन्हीं खसरा नम्बरान में से दिनांक 09.12. 2014 को गोपाल पुत्र सुखदेवा (वादी) ने [illegible] अम्बालाल, जलबाई, ममता पुत्रिया अम्बालाल व ग्यारसी बेवा [illegible]लाल से 4/35 हिस्सा खरीद कर लिया अब वादीगण 19/35 हिस्से [illegible] भूमि कि 68. 4000 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार होकर पूर्व से ही काबिज चले आ रहे है इसमें वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

का निवास के लिए मकान भी बना हुआ है जिसमें परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है।

- साबिक खसरा नम्बर 1034/1 में तीन व्यक्तियों की खातेदारी थी जिसमें रंगा व कल्याण पिसरान नाथू व नानगी बेवा नाथू जाति बागरिया से दिनांक 26.04.2020 को वादीगण के पूर्वज सुखदेव व रामकिशन ने 5 बीघा भूमि खरीद की थी इसके अलावा 5 बीघा भूमि के खातेदार श्योनारायण व अन्य थे जिनकी खातेदारी में सेटलमेंट ने नवीन खसरा नम्बर 1571 व 1572 दर्ज कर दिया था शेष 5 बीघा भूमि अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रही इसके अलावा 19 बीघा 14 बिस्वा जमीन सरकारी भूमि थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 1569 रकबा 0.0600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1570 रकबा 0.3000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.6000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1751 रकबा 0.4500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1709 रकबा 0.3000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.5000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1774 रकबा 0.3800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.3800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.2000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1780 रकबा 0.2000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.7300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.3000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1708 रकबा 0.1700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.1000 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1697 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल रकबा 4.99 हैक्टेयर वाके ग्राम शिवाड ए बनाए गए है।

- खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.5000 हैक्टेयर गैर मुमकिन चरागाह रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है यह साबिक खसरा नम्बर 1034/1 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा से बनाया गया है सेटलमेंट विभाग ने इसको रास्ते के रूप में नक्शा ट्रेस की मूलशीट मे दिखाया है प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा दावा पेश है यह रास्ता मूल शीट में खसरा नम्बर 1754 की हद तक जाता है। खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.6000 हैक्टेयर है जो गैर मुमकिन चरागाह रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है जो वादीगण को हैरान व परेशान करने के लिए मूल शीट नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1571 व 1572 दर्शाया था उन नम्बरान को पटवार शीट में 1571 के स्थान पर 1570 गलती करके दर्शा दिया गया है तथा खसरा नम्बर 1571 को चरागाह में रास्ते के भाग को बनाकर दर्शा दिया है तथा जबकि मूल शीट के अनुसार रास्ता गैर मुमकिन चरागाह खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.5000 हैक्टेयर का है इसी में खसरा नम्बर 1751 [illegible] दिया है इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाई गई मूल शीट में जिस भाग को 1571 दर्शाया था उसमें उसमें हेराफेरी करके खसरा नम्बर 15[illegible] दर्ज कर दिया है इसी वजह से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

पटवार रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस को देखकर हल्का पटवारी वादीगण के खिलाफ धारा 91 एल.आर. एक्ट की चरागाह पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट करता है और वादीगण से पेनल्टी वसूल की जाती रही है जो अवैध है वादीगण बोनाफाइड परचेचर है तथा खातेदार काश्तकार है इसलिए उनके खिलाफ कानूनन कोई धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही नही की जा सकती है जो कार्यवाही तहसीलदार जी चौथ का बरवाडा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर की जाती रही है व प्रारम्भ से ही अवैध है और प्रतिवादी को यह क्षेत्राधिकार नही है कि वह वादीगण को उनकी खरीदशुदा खातेदारी की भूमि से बेदखली का आदेश पारित कर पेनल्टी वसूल करें।

❖ वादीगण को यह अधिकार हासिल है कि वे अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.6600 हैक्टेयर जिसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता रेवेन्यू रिकॉर्ड मे दर्ज है को काश्त करे तथा जो किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर रखी है उसको शुद्ध करवाकर बारानी 1 रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाये साथ ही पटवार हल्का रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में जिस स्थान पर खसरा नम्बर 1570 दर्ज किया है उसके स्थान पर 1571 दर्ज करवाए और 1571 को रास्ते में बताकर दर्शाया है उसको हटाया जावे व जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करवावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

❖ बिनाय दावा दिनांक 30.07.2020 को ग्राम शिवाड में उत्पन्न हुआ जब पटवारी हल्का शिवाड ए ने खसरा नम्बर 1571 को खसरा नम्बर 1570 बताकर धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत प्रतिवादी को रिपोर्ट करने व मौके से बेदखल करने की धमकी दी जिससे यह दावा करना लाजिम आया।

❖ कि दावा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की शिड्यूल III के अनुसार निश्चित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

❖ दावा में खातेदार गुड्डी, छोटी, श्योनारायण व संतरा को इसलिए पक्षकार नहीं बनाया है कि दावे के निर्णय एवं डिक्री से उनके हितों पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा उनकी खातेदारी का जितना हिस्सा है वह बरकरार रहेगा।

❖ प्रतिवादी की यह जिम्मेदारी है कि वह सहायक भू अभिलेख अधिकारी व लैण्ड होल्डर होने के नाते समय समय पर रिकॉर्ड को जांच करे एवं रिकॉर्ड को दुरूस्त रखे इसलिए तहसीलदार जी को प्रतिवादी बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

❖ दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि ग्राम शिवाड पटवार हल्का शिवाड ए के रेवेन्यू रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में जिस भू भाग खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

1570 रकबा 0.3000 हैक्टेयर दर्शाया है वह सेटलमेंट विभाग द्वारा भू सर्वेक्षण के बाद जारी की गई मूलशीट से मेल नहीं खाता है क्योंकि मूलशीट में यह स्थान खसरा नम्बर 1571 दर्शाया है तथा इसका रकबा 0.6600 हैक्टेयर ही नक्शा ट्रेस के अनुसार बनता है इसलिए पटवारी का रिकॉर्ड में शुद्धि की जाकर मूलशीट के अनुसार तैयार की जावे तथा जिस स्थान पर खसरा नम्बर 1571 पटवार रिकॉर्ड में दर्शाया है उसको हटाया जावे क्योंकि वह नम्बर खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.5000 हैक्टेयर का ही भाग है साथ ही खसरा नम्बर 1570 मूलशीट के अनुसार खसरा नम्बर 1571 के दक्षिण पश्चिम में दर्शाया जावे। क्योंकि खसरा नम्बर 1570 मूलशीट में अलग से खसरा नम्बर 1571 के दक्षिण पश्चिम में दर्शाया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

- घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.6600 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर रखी है जबकि इस भूमि पर निरन्तर काश्त होने से यह बारानी अव्वल है इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 3 में गैर मुमकिन रास्ता के स्थान पर बारानी प्रथम दर्ज कर रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है अतः रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।
- प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह पटवार हल्का द्वारा खसरा नम्बर 1571 को 1570 बताकर अतिक्रमण की रिपोर्ट वादीगण के खिलाफ करे तो वादीगण के खिलाफ धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही कर वादीगण को मौके से बेदखल नहीं करे तथा वादीगण से पेनल्टी वसूल नहीं करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी होकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।
3. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पत्रांक भू0अ0/2025/117 दिनांक 07.02.2025 द्वारा जवाब इस न्यायालय में पेश किया है की–
   - खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.66 है० किस्म गै० मु०रास्ता, खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.60 है० किस्म बारानी 1 बादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है।
   - दावा का मद नं० 3 स्वीकार है। खसरा नम्बर 1752 रकबा 1.14 है० किस्म बारानी 1. खसरा नम्बर 1753 रकबा [illegible] है० किस्म बंजर वादी गोपाल पुत्र सुखदेवा जाति जाट वगै० के नाम खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- दावा का मद नं0 06 जिस तरह तहरीर किया है स्वीकार है। साबिक खसरा नम्बर 1034 वाके ग्राम शिवाड का रकबा बहुत बडा था जिसमें कई व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई थी जिसमें हाल खसरा नम्बर 1571, 1572, 1752, 1753 भी है। हाल खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.50 है० किस्म चरागाह है, यह खसरा नम्बर भी साबिक खसरा नम्बर 1034 का भाग है।
- दावा का मद न07 स्वीकार है। साबिक ख़सरा नम्बर 1034/1 वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की थी।
- दावा का मद नं 10 तुलनात्मक क्षेत्रफल के लिए है जो स्वीकार है। साबिक खसरा नम्बर 1034/1 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1752 रकबा 1.14 है0 व 1753 रकबा 0.12 है० बने है जो वादीगण के खातेदारी में दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 1034/1 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.60 है० व 1571 रकबा 0.66 है० बने है जो कि वादीगणों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। साबिक खसरा नम्बर 1034 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा के अन्य खसरा नम्बर 1570/0.30, 1754/0.60, 1751/0.45, 1709/0.30, 1710/0.50, 1774/1.20, 1782/0.38, 1781/0.20, 1780/0.20, 1779/0.73, 1778/0.30, 1708/0.17, 1698/0.10. 1697/0.32 बने है जो कि चरागाह दर्ज है। खसरा नम्बर 1710 मौके पर रास्ता के उपयोग में आ रही है।
- दावा का मद नं0 12 जिस तरह तहरीर किया है, स्वीकार है। मौके की स्थिति के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1571 रकबा 0.66 किस्म गै०मु. रास्ता कभी भी रास्ता नहीं रहा है. मौके पर आज ही काबिल काश्त है अर्थात यह खसरा नम्बर रास्ते के उपयोग में नहीं आ रहा है। खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.60 किस्म बारानी रकबा 0.50 है० किस्म चरागाह मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है।
- दावा का मद नं० 19 स्वीकार है। पटवारी की मूल शीट में खसरा नम्बर 1570 का रकबा 0.30 है० दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 1571 का रकबा 0.66 है० रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि में दिखाया गया है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जारी मूल शीट में खसरा नम्बर 1571 खातेदारी की दक्षिण में 1570 तथा मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही चरागाह भूमि को 1710 में दिखाया गया है। नक्शा शीट में उपरोक्त खसरा नम्बरान की रकबा बरारी करने पर भी क्षेत्रफल लगभग सही बैठता है। पटवारी नक्शा [illegible] आ रही भूमि का वास्तविक खसरा नम्बर 1571 के बजाय 1710 [illegible]
- दावा का मद नं 19 [illegible] 1571 रकबा 0.66 है० किस्म गै०मु०रास्ता खातेदारी से किस्म बारानी [illegible]या जाना उचित होगा। रास्ते के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपयोग में आ रहे 1710 की किस्म रास्ता (चरागाह) दर्ज किया जाना उचित होगा।

- खसरा नम्बर 1034 बहुत बडा रकबा था जिसके कई टुकडे होने के साथ कई व्यक्तियों को आवंटन किया गया था। साबिक खसरा नम्बर 1034/1 रकबा 5 बीघा विक्रेतागणों को आवंटित हुई थी जो मौका स्थिति के अनुसार एक ही चक के रूप में मौके पर संभलाई गई थी, न कि अलग–अलग टुकडों में। मौका स्थिति के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1569/0.06. 1570/0.30. 1571/0.66 का एक ही चक है। खसरा नम्बर 1710 रास्ते के उपयोग में आ रहा है। वादीगणों की खातेदारी खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.60 है० इसी खसरा नम्बर से लगती हुई है। अतः मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 1569, 1570 किस्म चरागाह की क्षतिपूर्ति खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.60 है० के उत्तर में की जाती है तो चरागाह में किसी भी तरह की कमी या बेशी नहीं होगी। मूल शीट पटवारी में स्थित खसरा नम्बर 1571 गै०मु रास्ता की बजाय 1710 का अंकन किया जाना न्यायसंगत होगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

4. वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

- क्या पटवार हल्का ग्राम शिवाड में स्थित खसरा नबंर 1571, खसरा नंबर 1710 रकबा 0.5000 हैक्टेयर का ही भाग है साथ ही खसरा नंबर 1570 मूलशीट के अनुसार खसरा नंबर 1571 के दक्षिण पश्चिम में दर्शाया जावे ?

–वादीगण

- क्या घोषणा इस अमर की फरमाई जावे की खसर नंबर 1571 रकबा 0.6600 हैक्टेयर निरन्तर काश्त होने से यह बरानी अव्वल है जिस, कारण रास्ता के स्थान पर बारानी प्रथम दर्ज कर रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे ?

–वादीगण

- क्या प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह पटवार हल्का ख.नं. 1571 को 1570 बताकर अतिक्रमण की रिपोर्ट वादीगण के खिलाफ करे तो वादीगण के के खिलाफ धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर वादीगण को मौके से बेदखल नहीं करे।

– वादीगण

Signature Not Verified

5. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये–

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- पी0डब्ल्यू0–01:– राजाराम पुत्र सुखदेवा जाट, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्ल्यू0–02:– चौथमल पुत्र अमरा कुशवाह जाति जाट, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- पी0डब्ल्यू–03:– प्रहलाद पुत्र काना कुशवाह जाति जाट, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–01:–जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 622 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–02:–जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 588 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

- प्रदर्श–03:– जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 700 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–04:– शिवाड़ (जागीर) तहसील निवाई सन् 1947
- प्रदर्श–05:– सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार किया गया तुलनात्मक क्षेत्रफल
- प्रदर्श–06:– आदेशिका उनवानी प्रार्थना पत्र रामकिशन बनाम सरकार
- प्रदर्श–07:– उनवानी प्रति रामकिशन वगै0 बनाम राज्य सरकार
- प्रदर्श–08:– नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 1571, 1570, 1569, 1752, 1751 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–09:– नक्शा ट्रेस खसरा नंबर 1571, 1570, 1569, 1752, 1751 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–10:– असल नोटिस दिनांक 20.02.2014, जो तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा खसरा नंबर 1569 व 1570 के बारे में रामकिशन को जारी किया गया है।
- प्रदर्श–11:– असल नोटिस धारा 91 एलआर एक्ट जो मुकेश पुत्र सुखदेवा को खसरा नंबर 1570 के बारे में दिनांक 27.11.2017 को पेश होने के लिये जारी किया गया।
- प्रदर्श–12:– :– असल नोटिस धारा 91 एलआर एक्ट जो शंकर पुत्र सुखदेवा को खसरा नंबर 1569 व 1570 के बारे में दिनांक 27.03.2018 को पेश होने के लिये जारी किया गया।
- प्रदर्श–13:– जमाबंदी ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–14:– जमाबंदी ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–15:– जमाबंदी ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–16:– जमाबंदी ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
- प्रदर्श–17:– खसरा गिरदावरी संवत् 2066 से 2069।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रदर्श–18:– विक्रय पत्र रंगा बहस खुखदेवा दिनांक 26.04.2019

प्रदर्श–19:– रजिस्ट्रेशन फीस राशि 3195 दिनांक 19.06.2014

प्रदर्श–20:– विक्रय पत्र दिनांक 03.12.2014 ग्राम शिवाड़ उनवान पप्पू बहक गोपाल

प्रदर्श–21:– उनवानी प्रार्थना पत्र रामकिशन वगै0 राज्य सरकार, जिसमें श्योनारायण पुत्र छीतर ने जवाब पेश किया।

प्रदर्श–22:– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रकरण रामकिशन बनाम सरकार, जिसमें इन्द्राज दुरूस्ती के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रदर्श–23:– रामकिशन बनाम सरकार की आदेशिका की नकल।

प्रदर्श–24:– मृत्यु प्रमाण पत्र रामकिशन पुत्र लालू जाट निवासी शिवाड़।

प्रदर्श–25:– निर्णय दिनांक 06.10.2020 उनवानी दावा के अन्तर्गत प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

6. वकील वादीगण बहस सुनी गई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस दावा में अंकित कथनों का दोहरान किया।

7. मैंने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

8. तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है–

➪ तनकी संख्या 1 व 2:– खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता, खसरा नंबर 1572 रकबा 0.60 है0 किस्म बारानी 1 वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है, जिसका हाल खसरा नंबर 1752 रकबा 1.14 है0 किस्म बारानी 1, खसरा नंबर 1753 रकबा 0.12 है0 किस्म बंजड़ वादी गोपाल पुत्र सुखदेवा जाति जाट वगै0 के नाम खातेदारी में दर्ज है। साबिक खसरा नंबर 1034 वाके ग्राम शिवाड़ का रकबा बहुत बड़ा था, जिसमें कई व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई थी, जिसमें हाल खसरा नंबर 1571, 1572, 1752, 1753 भी हैं। हाल खसरा नंबर 1710 रकबा 0.50 है0 किस्म चारागाह है। यह खसरा नंबर भी साबिक खसरा नंबर 1034 का भाग है। साबिक खसरा नंबर 1034/1 वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। तुलनात्मक क्षेत्रफल (प्रदर्श–05) को प्रतिवादी ने सही होना स्वीकार किया है और अपने जवाबदावा में यह कथन किया है कि साबिक खसरा नंबर 1034/1 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1752 रकबा 1.14 है0 व खसरा नंबर 1753 रकबा 0.12 है0 बने हैं, जो वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। साबिक खसरा नंबर 1034/1 रकबा 5 बीघा के हाल खसरा नंबर 1572 रकबा 0.60 है0 व खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 बने हैं, जो कि वादीगणों की संयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

खातेदारी की भूमि है। साबिक खसरा नंबर 1034 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा के अन्य नवीन खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1754 रकबा 0.60 है0, खसरा नंबर 1751 रकबा 0.45 है0, खसरा नंबर 1709 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1710 रकबा 0.50 है0, खसरा नंबर 1774 रकबा 1.20 है0, खसरा नंबर 1782 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 1781 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 1780 रकबा 0.20 है0, खसरा नंबर 1779 रकबा 0.73 है0, खसरा नंबर 1778 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1708 रकबा 0.17 है0, खसरा नंबर 1698 रकबा 0.10 है0, खसरा नंबर 1697 रकबा 0.32 है0 बने हैं, जो कि चारागाह दर्ज है। खसरा नंबर 1710 मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है। मौके की स्थिति के अनुसार हाल खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता कभी भी रास्ते के उपयोग में नहीं रहा है। मौके पर आज भी वादीगण काबिज काश्त है। अर्थात यह खसरा नंबर रास्ते के उपयोग में नहीं आ रहा है। खसरा नम्बर 1572 रकबा 0.60 किस्म बारानी रकबा 0.50 है० किस्म चरागाह मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है। पटवारी की मूल शीट में खसरा नंबर 1570 का रकबा 0.30 है0 दर्शाया गया है। खसरा नंबर 1571 का रकबा 0.66 है0 रास्ते के उपयोग में रहीं भूमि में दिखाया गया है। बंदोबस्त विभाग द्वारा जारी मूल शीट में खसरा नंबर 1571 खातेदारी की दक्षिण में खसरा नंबर 1570 तथा मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही चारागाह भूमि को खसरा नंबर 1710 में दिखाया गया है। नक्शा शीट **(प्रदर्श–9)** में उपरोक्त खसरा नंबरान की रकबा बरारी करने पर भी क्षेत्रफल लगभग सही बैठता है। पटवारी नक्शा शीट में रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि का वास्तविक खसरा नंबर 1571 के बजाय 1710 होना चाहिये। मौका स्थिति के अनुसार हाल खसरा नंबर 1569 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 का एक ही चक है। खसरा नंबर 1710 रास्ते के उपयोग में आ रहा है। वादीगणों की खातेदारी खसरा नंबर 1571 के बजाय खसरा नंबर 1710 होना चाहिये। हाल खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता खातेदारी से किस्म बारानी किया जाना उचित होगा। रास्ते के उपयोग में आ रहे खसरा नंबर 1710 की किस्म रास्ता (चारागाह) दर्ज किया जाना प्रतिवादी ने उचित बताया है। **प्रदर्श–10, प्रदर्श–11, प्रदर्श–12** से यह साबित होता है कि वादीगण खसरा नंबर 1569 व खसरा नंबर 1570 पर काबिज है, जिसके संबंध में भूमि चारागाह गलत घोषित दर्ज होने के कारण तहसीलदार [illegible] बरवाड़ा ने वादीगणों के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा [illegible] नोटिस जारी कर कार्यवाही की है। साबिक खसरा नंबर 1034/1 रकबा 5 [illegible] विक्रेतागणों को आवंटित हुई थी, जो मौका स्थिति के अनुसार एक ही चक के रूप में होना प्रतिवादी अपने

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

जवाबदावा में स्वीकार किया है। मौका स्थिति के अनुसार हाल खसरा नंबर 1569 रकबा 0.06 है0, खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 का एक ही चक है। खसरा नंबर 1710 रास्ते के उपयोग में आ रहा है। वादीगणों की खातेदारी 1572 रकबा 0.60 है0 इसी खसरा नंबर से लगती हुई है। अतः मौका स्थिति अनुसार खसरा नंबर 1569, खसरा नंबर 1570 की क्षतिपूर्ति खसरा नंबर 1572 रकबा 0.60 है0 के उत्तर में की जाती है तो चारागाह में किसी भी तरह की कमी या अधिकता नहीं होगी। मूल शीट पटवारी में स्थित खसरा नंबर 1571 गै0मु0 रास्ता के बजाय खसरा नंबर 1710 का अंकन किया जाना न्यायसंगत होगा। इस न्यायालय द्वारा प्रतिवादी से खसरा नंबर 1570, खसरा नंबर 1571 व खसरा नंबर 1710 की वर्तमान नक्शा अनुसार रकबा बरारी कर स्थिति चाही जिसमें खसरा नंबर 1570 रकबा 0.30 है0, जो चारागाह दर्ज है अब वास्तविक रकबा 0.86 है0 है। खसरा नंबर 1710 रकबा 0.50 है0 किस्म चारागाह, जो वास्तव में नक्शे में 0.32 है0 है व खसरा नंबर 1571 रकबा 0.30 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता, जो खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी अनुसार रकबा 0.66 है0 और नक्शे में वास्तविक रकबा 0.36 है0 है। जमाबंदी/नक्शे में जो अंतर आता है, वह कुल मिलाकर 1.04 है0 का है। इस प्रकार पटवार मण्डल शिवाड़ में स्थित खसरा नंबर 1571, खसरा नंबर 1710 रकबा 0.50 है0 का ही भाग है। खसरा नंबर 1570 मूल शीट के अनुसार खसरा नंबर 1571 के दक्षिण पश्चिम में दर्शाया जाना न्यायसंगत है। चूंकि खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 में लगातार काश्त हो रही है। इसलिये इसको बारानी प्रथम दर्ज किया जाना न्यायसंगत है। तथा रास्ते की प्रविष्ठि हजफ किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 व 2 वादीगणों के पक्ष में इस प्रकार निर्णित की जाती है कि खसरा नंबर 1569, खसारा नंबर 1570 किस्म चारागाह की क्षतिपूर्ति खसरा नंबर 1572 रकबा 0.60 है0 के उत्तर में की जाती है। इससे चारागाह में किसी भी तरह की कमी या अधिकता नहीं होगी। मूल शीट पटवारी में स्थित खसरा नंबर 1571 गै0मु0 रास्ता के बजाय खसरा नंबर 1710 को गै0मु0 रास्ता का अंकन किया जावे। खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 की किस्म गै0मु0 रास्ता के स्थान पर बारानी प्रथम दर्ज की जाकर वादीगण की खातेदारी में यथावत रखी जावे।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 को गै0मु0 रास्ता की किस्म के बजाय बारानी प्रथम दर्ज की जावे तथा खसरा नंबर 1569 व खसरा नंबर 1570 को खसरा नंबर 1572 के उत्तरी साईड में नक्शे में दर्शाया जावे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान चौथ का बरवाडा

1. राजाराम पुत्र सुखदेवा जाट
2. गोपाल पुत्र सुखदेवा जाट
3. छोटू पुत्र सुखदेवा जाट
4. श्रीमति रामा देवी पत्नि स्व0 रामकिशन जाट

निवासीयान शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

नम्बर मुकदमा 54 सन् 2020

दावा बाबत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 सपठित धारा 92 ए आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट एवं प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार, पैरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 18.02.2026 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नंबर 1571 रकबा 0.66 है0 को गै0मु0 रास्ता की किस्म के बजाय बारानी प्रथम दर्ज की जावे तथा खसरा नंबर 1569 व खसरा नंबर 1570 को खसरा नंबर 1572 के उत्तरी साईड में नक्शे में दर्शाया जावे। पक्षकारान अपना खर्चा स्वयं वहन करे।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 18.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड़	00	00	जोड़	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.23 13:32:56 IST
Reason: SelfAttested